नोटिस की मोहलत खत्म ...

14 फ्लैट अवैध घोषित: इमारत पर चलेगा बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। नरेला क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक इमारत को अवैध घोषित करते हुए निगम ने उसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमारत में बनाए गए 14 फ्लैट करीब 30-30 लाख रुपए में बेचे गए थे।

जानकारी के अनुसार निजी भूमि पर स्थानीय डेवलपर द्वारा कथित रूप से नियमों का उल्लंघन कर भवन निर्माण किया गया था। मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 और नगर निगम अधिनियम के तहत जारी नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद निगम ने पूरी इमारत को अवैध घोषित कर दिया है। अब जल्द ही इसे गिराने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर में ऐसे 100 से अधिक मामलों में भी नोटिस की समय-सीमा समाप्त हो रही है, जहां भवन अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन पाया गया है। निगम ने 85 वार्डों को चार जोन में बांटकर व्यापक कार्रवाई की तैयारी की है। संबंधित भू-स्वामियों को 15 दिन पहले ही सूचना दी जा चुकी है।

इधर निगम के सर्वे में अरेरा कॉलोनी के 83 और रोहित नगर के 67 सहित 150 से अधिक मामले सामने आए हैं, जहां आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत भवनों में अस्पताल, बैंक, होटल, शोरूम, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती मिलीं। निगम अब पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा के साथ नए सिरे से भौतिक सत्यापन भी करा रहा है।

निगमायुक्त संस्कृति जैन ने कहा कि एमओएस और एफएआर नियमों के उल्लंघन के मामलों में नोटिस तामील किए जा चुके हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली जैसी तकनीक से तेज होगी मेट्रो

सिग्नलिंग टेस्ट के लिए 24-25 जून को बंद रहेंगी मेट्रो सेवा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में मेट्रो यात्रियों को 24 और 25 जून को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी द्वारा सिग्नलिंग सिस्टम के निरीक्षण और परीक्षण के चलते इन दो दिनों मेट्रो सेवा बंद रहेगी। परीक्षण पूरा होने के बाद 26 जून से मेट्रो का संचालन फिर शुरू होगा।

मेट्रो प्रबंधन के अनुसार सुभाष नगर से एम्स तक करीब 7 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सिग्नलिंग सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। अब सीएमआरएस इसकी तकनीकी जांच करेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद जुलाई से मेट्रो का नया शेड्यूल और संचालन समय तय किया जाएगा। वर्तमान में सिग्नलिंग सिस्टम नहीं होने के कारण मेट्रो केवल एक ही ट्रैक पर संचालित हो रही है। यही वजह है कि ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी 75 मिनट तक है और संचालन भी सीमित समय के लिए किया जा रहा है। एक ही ट्रैक पर ट्रेन दोनों दिशाओं में चलने से रफ्तार और क्षमता प्रभावित हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक नया सिग्नलिंग सिस्टम लागू होने के बाद दोनों ट्रैक पर मेट्रो संचालन संभव होगा। इससे ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ेगी, यात्रियों का इंतजार कम होगा और मेट्रो की गति भी बेहतर होगी। भोपाल मेट्रो में वही आधुनिक सिग्नलिंग तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में लागू है।

स्मार्ट मीटर से खुलेगी बिजली चोरी की पोल

जाँच में तय लोड से ज्यादा इस्तेमाल पर लगेगी पेनल्टी

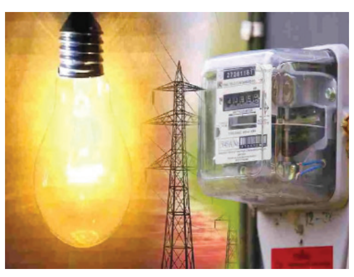

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने घरों में उपयोग किए जा रहे विद्युत भार (लोड) को लेकर सतर्क रहना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर से मिले आंकड़ों के आधार पर ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान शुरू करने जा रही है, जो स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पेनल्टी लगाने के साथ लोड बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

कंपनी के पास शहर में लगे करीब चार लाख स्मार्ट मीटरों का डेटा उपलब्ध है। इसके आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि किस उपभोक्ता का वास्तविक बिजली उपयोग उसके स्वीकृत भार से अधिक है। बिजली अधिकारियों के अनुसार, कनेक्शन जारी करते समय प्रत्येक उपभोक्ता को एक निश्चित लोड स्वीकृत किया जाता है और उसी के आधार पर क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था तय की जाती है।

यदि कोई उपभोक्ता स्वीकृत क्षमता से अधिक भार वाले उपकरण संचालित करता है और लोड नहीं बढ़वाता, तो जांच में सामने आने पर उसे अतिरिक्त शुल्क और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक किलोवॉट स्वीकृत लोड वाले कनेक्शन पर अधिक क्षमता की मोटर या अन्य भारी उपकरण चलाने पर कार्रवाई हो सकती है। भोपाल सिटी सर्कल के महाप्रबंधक प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि उपभोक्ता कंपनी के 'सरल संयोजन पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपना लोड बढ़वा सकते हैं। हालांकि लोड बढ़ने से बिजली बिल के फिक्स चार्ज में भी वृद्धि होगी।

इधर सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। विद्युत नियामक आयोग के समक्ष हुए विचार-विमर्श में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर संयंत्रों पर एक हजार रुपए की प्रोसेसिंग फीस समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं सोलर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे फिक्स चार्ज को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

पुलिस ने 58.5 लीटर अवैध शराब के साथ तस्कर दबोचा

नप्र, भोपाल : थाना गांधीनगर पुलिस ने माईक्रो बीट स्तर पर जनसंवाद से प्राप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 58.5 लीटर अवैध देशी शराब तथा परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन जब्त किया है। पुलिस आयुक्त श्री संजय कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान के निर्देशानुसार शहर में मादक पदार्थों और अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस उपायुक्त जोन-4 श्री आदर्श कांत शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री संजीव कुमार पाठक तथा सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा अक्षय चौधरी के मार्गदर्शन में थाना गांधीनगर पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नीले रंग की एक्टिवा से एयरोसिटी रोड पर अवैध शराब की तस्करी करने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एयरोसिटी रोड पर घेराबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति नीले रंग की एक्टिवा पर दो प्लास्टिक के थैले लेकर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने एयरोसिटी ब्रिज के पास उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जगदीश कुमार प्रियानी उर्फ जग्गू (51 वर्ष) निवासी शिवाजी वार्ड, गांधीनगर, भोपाल बताया। तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद दो प्लास्टिक थैलों से कुल 325 क्वार्टर देशी शराब बरामद हुई, जिसकी मात्रा लगभग 58.5 लीटर पाई गई। आरोपी शराब परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने मौके पर अवैध शराब और एक्टिवा वाहन जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

राजधानी में 'लव-ठगी' का सनसनीखेज मामला

शादी का झांसा देकर सालभर किया दुष्कर्म, मां-बेटे ने ऐंठे लाखों रुपये

नप्र, भोपाल : राजधानी में प्रेम, विश्वास और शादी के नाम पर धोखाधड़ी तथा शोषण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने पहले उसे प्रेमजाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर करीब एक वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया।

इतना ही नहीं, आरोपी की मां ने भी कथित तौर पर युवती को विश्वास में लेकर और बाद में धमकियां देकर लाखों रुपये वसूल लिए। लंबे समय तक मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण का सामना करने के बाद पीड़िता ने राज्य महिला आयोग की शरण ली, जिसके बाद मामले में पुलिस कार्रवाई शुरू हुई है।

पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात करीब दो वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी युवक से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने उससे प्रेम का इजहार करते हुए शादी का वादा किया। युवती का आरोप है कि इसी भरोसे और भविष्य में विवाह के आश्वासन के आधार पर आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। समय बीतने के साथ जब युवती ने विवाह को लेकर दबाव बनाना शुरू किया तो आरोपी का व्यवहार बदलने लगा और वह लगातार टालमटोल करने लगा।

मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी की मां भी युवती के संपर्क में आई। शिकायत के अनुसार आरोपी की मां ने खुद को रिश्ते के पक्ष में बताते हुए युवती का भरोसा जीता और बेटे की नौकरी, पारिवारिक जरूरतों तथा मकान खरीदने जैसे विभिन्न कारण बताकर उससे किस्तों में बड़ी रकम ले ली। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान उससे लगभग तीन लाख रुपये लिए गए।

युवती का कहना है कि जब उसने अपने रुपये वापस मांगे और शादी को लेकर स्पष्ट जवाब चाहा तो उसे धमकियां दी जाने लगीं। आरोप है कि मां-बेटे ने उसे बदनाम करने, झूठे मामलों में फंसाने और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक प्रताड़ना के कारण वह तनाव में आ गई और अंततः न्याय की उम्मीद में राज्य महिला आयोग पहुंची।

राज्य महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर को तत्काल जांच कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयोग का कहना है कि शादी का झूठा वादा कर महिलाओं का शोषण करने के मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

आयोग के हस्तक्षेप के बाद महिला थाना पुलिस ने आरोपी युवक और उसकी मां के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस ने चाकूबाज को किया गिरफ्तार, साथी की तलाश जारी

नप्र, भोपाल : थाना मंगलवारा पुलिस ने चाकू से जानलेवा हमला कर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को घटना के महज 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जबकि उसका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

पुलिस उपायुक्त जोन-3 श्री आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती शालिनी दीक्षित तथा सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज श्री राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मंगलवारा निरीक्षक अजय कुमार सोनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार 18 जून को फरियादी नवेद उल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि छावनी रोड स्थित आकाश फोम एंड फर्निशिंग दुकान के सामने दो युवक पल्सर मोटरसाइकिल से आए और बिना किसी विवाद के उन पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में आरोपी ने जान से मारने की नीयत से वार किया और मौके से फरार हो गया।

फुलवारी: योग, संगीत और कथक का अद्भुत संगम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस के अवसर पर नटराज कथक कला अकादमी द्वारा आयोजित 'फुलवारी-2026' कार्यक्रम में योग, संगीत और कथक नृत्य का अनूठा संगम देखने को मिला।

श्यामला हिल्स स्थित लिटिल बैले ट्रुप सभागार में आयोजित इस सांस्कृतिक आयोजन ने दर्शकों को कला और अध्यात्म की रंगीन दुनिया से रूबरू कराया।

मुख्य अतिथि उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी के उपनिदेशक शेखर करहाडकर तथा विशिष्ट अतिथि जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त रक्षा दुबे थीं। संस्था की अध्यक्ष एवं कथक गुरु अपर्णा चतुर्वेदी तथा सचिव संजय चतुर्वेदी ने अतिथियों का सम्मान किया। अपने संबोधन में अतिथियों ने युवा कलाकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम की शुरुआत दुर्गेश पाण्डेय के भजन गायन से हुई। इसके बाद युवा कवि संदीप द्विवेदी ने अपनी कविताओं का पाठ कर श्रोताओं को भाव-विभोर कर दिया। फादर्स डे के अवसर पर प्रस्तुत उनकी कविता को विशेष सराहना मिली। बाल कलाकार सुबीर चतुर्वेदी ने की-बोर्ड वादन से कार्यक्रम में आकर्षण जोड़ा।

इसके बाद कथक नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां हुईं। राग यमन में विष्णु वंदना के साथ योग मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया। ठुमरी, गुरु वंदना और भाव नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन राग तिलक कामोद पर आधारित होली गीत से हुआ, जिसमें सभी कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी। कृष्ण रूप में इरा सक्सेना की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही।

जनपरिषद का 37 वां वार्षिक समारोह आज

दीपक वोहरा भी शिरकत करेंगे

नप्र, भोपाल : अग्रणी सामाजिक संस्था जन परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी एन के त्रिपाठी के अनुसार मंगलवार 23 जून को रवींद्र भवन में शाम चार बजे जन परिषद का 37 वां वार्षिक समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में पूर्व एंबेसडर एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों के अग्रणी ज्ञाता दीपक वोहरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना, एयर मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव एवं एडिशनल चीफ सक्रेटरी अनुपम राजन को आमंत्रित किया गया है।

बहुचर्चित कफ सिरप कांड का मुख्य आरोपी राहुल कुशवाहा गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश के चर्चित कफ सिरप कांड में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले के मुख्य आरोपी राहुल कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तारी के बाद उसे विशेष न्यायाधीश मुकेश मलिक की अदालत में पेश किया गया, जहां एसटीएफ ने उससे विस्तृत पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि राहुल की गिरफ्तारी से इस पूरे नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण राज सामने आ सकते हैं। एसटीएफ की कार्रवाई के बाद अब तक इस मामले में कुल 20 आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, जांच को आगे बढ़ाने और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने के लिए एजेंसी ने पूर्व में गिरफ्तार छह आरोपितों को दोबारा रिमांड पर लिया है। अधिकारियों के अनुसार कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी पुष्टि और पड़ताल के लिए आरोपितों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है।

जांच एजेंसियों का पूरा फोकस अब नशीली कफ सिरप की सप्लाई चेन को खंगालने पर है। एसटीएफ यह पता लगाने में जुटी है कि बड़ी मात्रा में बरामद कफ सिरप कहां से लाई गई, इसके निर्माण, भंडारण और वितरण में कौन-कौन लोग शामिल थे तथा भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में इसकी आपूर्ति किस नेटवर्क के माध्यम से की जा रही थी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह केवल स्थानीय स्तर का मामला नहीं है, बल्कि इसके तार प्रदेश के अन्य जिलों और संभवतः दूसरे राज्यों तक जुड़े हो सकते हैं। इसी कारण गिरफ्तार आरोपितों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल फोन, बैंक खातों तथा संपर्कों की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इस मामले का खुलासा तब हुआ था जब एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप और उससे संबंधित रैपर बरामद किए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जा रहा था। युवाओं के बीच इसकी बढ़ती खपत को देखते हुए एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लिया और नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी संगठित तरीके से इस कारोबार को संचालित कर रहे थे। सिरप की खेप को अलग-अलग स्थानों तक पहुंचाने और उसे खपाने के लिए विशेष नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था। एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े वित्तीय लेनदेन और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच नए चरण में पहुंच गई है। पूछताछ में मिल रही जानकारियों के आधार पर कई अन्य संदिग्धों की पहचान की गई है।

उत्साहपूर्वक मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बाबड़िया कला स्थित इंडस गार्डन फेज-1 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह, उल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। योग गुरु महेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में पिछले चार वर्षों से संचालित सायंकालीन योग कक्षा के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग साधकों ने भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ सामूहिक योगाभ्यास से हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इस अवसर पर योग गुरु महेश ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का भी सशक्त साधन है। कार्यक्रम में वरिष्ठ योग गुरु पुष्पा भदौरिया, किरण जौहरी, रमेश कुमार साहू, अजीत श्रीवास्तव, डॉ. विठ्ठल पुरी, डॉ. नीता पुरी सहित अनेक योग साधक और बच्चे उपस्थित रहे।

स्लॉटर हाउस दोबारा खोलने के प्रयासों पर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राजधानी में बंद पड़े एक स्लॉटर हाउस को पुनः संचालित करने की मांग को लेकर बजरंग दल भोपाल विभाग ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि संबंधित मामले में नगर निगम की ओर से न्यायालय में प्रभावी आपत्ति दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है।

बजरंग दल के अनुसार संबंधित कंपनी ने स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। संगठन का दावा है कि न्यायालय के आदेश में नगर निगम की ओर से याचिकाकर्ता की मांग पर कोई आपत्ति नहीं जताए जाने का उल्लेख किया गया है।

वहीं न्यायालय ने मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नगर निगम को सौंपा है। संगठन ने यह भी कहा कि नगर निगम आयुक्त द्वारा कंपनी से पुनः संचालन शुरू करने के संबंध में अभिमत मांगा गया है। इस पर बजरंग दल ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए प्रशासन से स्लॉटर हाउस को दोबारा अनुमति नहीं देने की मांग की है।

ट्रांसफर डील की चर्चाओं के बीच सपा का हमला, लगाए गंभीर आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: हाल ही में प्रदेश की राजनीति में एक मंत्री के आवास से कथित ट्रांसफर डील संचालित होने संबंधी खबरें समाचार वेबसाइटों और सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रही थीं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने मध्यप्रदेश की तबादला नीति को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने तबादला नीति को एक 'उद्योग' में बदल दिया है और अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं।

यश भारतीय ने दावा किया कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में मंत्री स्तर से तैयार की गई तबादला सूची के बावजूद कई तबादले रोक दिए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उनके अनुसार जिन अधिकारियों के तबादले रोके गए हैं, उनमें से कई के खिलाफ विभिन्न विभागों में जांच या भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें लंबित हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा है कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। सपा ने आरोप लगाया कि प्रदेश की तबादला व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव है और इससे प्रशासनिक व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।

निर्देश *हर जिले में बनेगी हैचरी...*

मत्स्य क्षेत्र में 9 हजार करोड़ से अधिक निवेश : डॉ. यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत प्रदेश में मछली पालन क्षेत्र में 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आ रहा है।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश को मछली बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर जिले में कम से कम एक हैचरी विकसित की जाए। इससे मछली बीज की स्थानीय उपलब्धता बढ़ेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। मंत्रालय में आयोजित मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले ढाई वर्षों में प्रदेश को मछली बीज के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने मोती उत्पादन को भी बढ़ावा देने तथा अन्य राज्यों की सफल व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मत्स्य क्षेत्र में प्राप्त 2 लाख 91 हजार से अधिक केज प्रस्तावों के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। बढ़ते मछली उत्पादन को देखते हुए कोल्ड चेन, भंडारण और परिवहन जैसी आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही मछली उत्पादों की ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्किंग मजबूत करने की बात कही गई।

बैठक में बताया गया कि मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अंतर्देशीय जल क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्देशीय मत्स्य पालन के क्षेत्र में सिवनी जिले को वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बैठक में राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।